विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक – 3557 परिशिष्ट "अ" [23/3/2022]

जहां आरक्षी केन्द्र है, तब अनुविभागीय दंडाधिकारी आरक्षी केन्द्र जा सकता है एवं अपराध से सम्बन्धित अभिलेखों एवं रजिस्टरों का निरीक्षण कर सकता है, जो कि आरक्षी केन्द्र अधिकारी जहाँ आवश्यक हो उसको समझाएगा । ऐसे निरीक्षणों के परिणाम आरक्षी केन्द्र निरीक्षण पुस्तिका में प्रविष्ट नहीं किए जाएंगे परन्तु जिला दंडाधिकारी को पेश किए जाने वाले अलग से ज्ञापन के रूप में अभिलिखित किए जाएंगे, जो कि उसको (पुलिस अधीक्षक) को अग्रेषित कर देगा ।

अनुविभागों में निवास करने वाले अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को निरीक्षणों के सम्बन्ध में वही शक्तियां हैं जो जिला दंडाधिकारी को है । फिर भी उनके द्वारा अभिलिखित की गई निरीक्षण टिप्पणियाँ जिला दंडाधिकारी के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को भेजी जाएगी ।

29. कानून को प्रभावशील करने की जिम्मेदारी- कानून एवं व्यवस्था को प्रभावशील करने और अन्याय की रोकथाम करने की जिम्मेदारी में दंडाधिकारीगण, पुलिस का हाथ बंटाते हैं । अपनी वैधानिक शक्ति के प्रयोग में न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा जारी सभी विधिसंगत आदेशों का पालन करना, उनके द्वारा जारी किये गए सभी आदेशिकाओं का निष्पादन एवं तामीली करना एवं प्रत्येक दंडाधिकारी के साथ सौहार्द्र एवं आदर का बर्ताव करना पुलिस का कर्त्तव्य है ।

[1][**30. आयुक्त की शक्तियाँ-** आयुक्त, जिला दंडाधिकारियों के माध्यम से कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध की रोकथाम से सम्बन्धित सभी विषयों में अन्य गतिविधियों के समान अपने संभाग के प्रशासन पर नियंत्रण का प्रयोग करता है और पुलिस तथा दंडाधिकारियों के बीच सहयोग बनाए रखने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है । वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय और किसी भी आरक्षी केन्द्र का जहां वह दौरा करे, निरीक्षण करने के लिए सक्षम है । महत्व के सभी विषयों पर पत्रव्यवहार जैसे विशेष प्रकार के अपराध से निपटाने के उपाय आर्थिक नीति की स्थिति और सामान्य नीति के किसी विषय, आयुक्त के माध्यम से किया जाएगा ।

31. आयुक्त के माध्यम से भेजी जाने वाली विवरणियां- निम्नलिखित विवरणियां आयुक्त के माध्यम से भेजी जाती हैं-

(अ) अपराध का मासिक विश्लेषण,

(ब) राजपत्रित अधिकारियों पर गोपनीय प्रतिवेदन,

(स) वार्षिक प्रतिवेदन

(द) जिला दंडाधिकारी द्वारा अग्रेषित किये जाने के बाद महानिरीक्षक या उप-महानिरीक्षक की निरीक्षण टिप्पणियाँ ।

विशेष प्रतिवेदन और ऐसे मामलों के सभी पूरक जिन्हें जिला दंडाधिकारी समझता है कि आयुक्त देखें या देखना चाहे, जिला दंडाधिकारी,आयुक्त के अवलोकन के लिये भेजेगा ।

खण्ड तीन

अधीक्षक, सहायक एवं उप-अधीक्षकगण

32. पुलिस अधीक्षक- अधीक्षक, अपने जिले के पुलिस बल का प्रमुख है और इसके आन्तरिक बचत (economy) एवं प्रबन्ध, उसकी दक्षता एवं अनुशासन और उसके कर्त्तव्यों के उचित पालन के लिए

1. अधिसूचना क्र. एफ 4-177/दो/गृह-सी/2003 दिनांकित 26 मई, 2005 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में विनियम 30 एवं 31 विलोपित । छत्तीसढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांकित 27.5.2005 पृष्ठ 205 पर प्रकाशित । उक्त विनियम अब केवल मध्यप्रदेश राज्य में लागू ।

Scanned with CamScanner

जाना चाहिए। मुख्यालयों में पदस्थ के किसी सदस्य को अभ्यावेदन (representation) का व्यक्तिशः आवेदन देने के लिए अर्दली कक्ष में उपस्थित होने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए बशर्ते कि कर्त्तव्य से उसे छुट्टी दी जा सकती हो और लिखित में अपने उद्देश्य को उस अधिकारी को जिसका वह निकट अधीनस्थ है, सूचित करेगा। यदि अधिकारी अनुमति देता है तो वह सूचना में अर्ध हस्ताक्षर करेगा और आवेदक को इसके साथ अर्दली कक्ष में उपस्थित होने के लिए हिदायत देगा, यदि वह अनुमति रोकता है तब वह सूचना को उस पर अपनी अस्वीकृति के कारणों को पृष्ठांकित करते हुए, अधीक्षक को अग्रेषित कर देगा।

36. सहायक अधीक्षक एवं उप अधीक्षक के कर्त्तव्य एवं शक्तियाँ- सहायक अधीक्षक एवं उप अधीक्षक गण अधीक्षक के किसी भी कार्य को कर सकते हैं जिसको व्यक्तिगत रूप से करने के लिए कानून या नियमों से वह बाध्य नहीं है। उन विषयों के बारे में जिनमें वे अन्तिम आदेश पारित करने के लिए सशक्त नहीं हैं उन विषयों की वे जांच कर सकते हैं और सिफारिश कर सकते हैं। उन्हें दौरा में जाना चाहिए एवं निरीक्षण करना चाहिए। सहायक एवं उप अधीक्षकगण, जो अपनी नियुक्तियों में स्थायी कर दिये गए हैं वे पुलिस एक्ट की धारा 7 के अन्तर्गत, जहां तक पुलिस पदाधिकारियों के निलम्बन और धारा 7 (ब) में विनिर्दिष्ट दंड देने से सम्बन्धित हैं, अधीक्षक के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए सशक्त कर दिये गये हैं। केवल परिवीक्षाधीनों (probationer) को छोड़कर सभी उप अधीक्षकगण अधिनियम की धारा 30 एवं 30-अ के अन्तर्गत अधीक्षक के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए शसक्त हैं।

अधीक्षगण को यह समझना चाहिए कि उनके जिलों में पुलिस प्रशासक की गतिशील स्फूर्ति में बिना किसी प्रकार बाधा पहुँचाए, अपने कर्त्तव्यों के एक अंश को अपने सहायकों को योजना वृद्ध तरीके से दे देना उनके लिए पूर्णतया संभव है। पूर्व में कुछ अधीक्षकगण का अपने कनिष्टों को दैनिक कार्यालय कार्य में बिल्कुल ही सहायक और कुछ नहीं मानने का रुख रहा है। अधीक्षकगण को अपने सहायकों में के किसी को भी केवल कार्यालय के प्रभार में नहीं रखना चाहिए (केवल कार्यालय कार्य में उन्हें प्रशिक्षण देने के प्रयोजन के सिवाए) सहायक एवं उप अधीक्षकगण जब वे मुख्यालयों में हों तो अपनी बारी में कार्यालय का प्रभार लेते हुए, उन्हें कार्यपालक कार्य का उचित भाग दिया जाना चाहिए।

टिप्पणी

अधीक्षक को साल के प्रारम्भ में कार्य विवरण मेमो जारी करना चाहिए।

37. सहायक अधीक्षक एवं उप अधीक्षक तुलनात्मक स्तर- जब सहायक अधीक्षक एवं उप-अधीक्षक एक ही जिले में संलग्न कर दिए जाते हैं तब उनका तुलनात्मक स्तर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है-

(i) यदि दोनों स्थायी कर दिए गए हों या कोई भी स्थायी नहीं किया गया हो तो उनकी नियुक्तियों की तारीखों को महत्व दिए बिना भारतीय पुलिस अधिकारी, राज्य पुलिस अधिकारी से स्तर में वरिष्ठ होगा।

(ii) यदि एक अधिकारी स्थायी कर दिया गया हो और दूसरा स्थायी न किया गया हो तो सेवा को महत्व दिए बिना चाहे वह जिस सेवा का हो पहले वाला (स्थायी अधिकारी) दूसरे (अस्थायी अधिकारी) से वरिष्ठ स्तर का है।

AIG (Training)
Police Head Quarter, Bhopal

Scanned with CamScanner

विधान सभा अतारांकित प्रश्न कमांक– 3557

परिशिष्ट 'ब'

ऑकडें रूपयों में

	वित्तीय वर्ष 2008.09	वित्तीय वर्ष 2019.20	रिमार्क
आरक्षक से निरीक्षक तथा रा.पु.से अधिकारियों के वेतन भत्तो पर कुल खर्च	10,787,551,000	54,463,239,000	वर्ष 2008–09 में भा.पु.से. अधिकारियों के वेतन भत्तों हेतु पृथक से कोई मद नहीं था।
भा.पु.से. अधिकारियों के वेतन भत्तों पर कुल खर्च		439,922,000	

AIG (Planning)
Police Head Quarter, Bhopal

Scanned with CamScanner